[प्रथमबार राजस्थान राज-पत्र, असाधारण, भाग ४ (क), दिनांक ५ अप्रेल, १९६३ में प्रकाशित हुआ]

राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३

(अधिनियम संख्या ९ सन् १९६३)

विषय सूची

क्रम संख्या	धारायें	पृष्ठ संख्या
१.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	१
२.	होम गार्ड्स का गठन और कमाण्डेण्ट जनरल, डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल तथा कमाण्डेण्ट की नियुक्ति	१
३.	सदस्यों की नियुक्ति	२
४.	सदस्यों के प्रकार्य तथा कर्तव्य	२
५.	शक्तियां, रक्षा तथा नियन्त्रण	२
६.	पुलिस दल के अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण	२
७.	सदस्य न रहने वाले व्यक्ति द्वारा सर्टिफिकेट, हथियारों आदि का सौंपा जाना	२
८.	कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए सदस्यों को दण्ड	३
९.	शास्ति	४
१०.	नियम	५
११.	होम गार्ड्स के सदस्य, लोक सेवक (Public Servants) होंगे ..	५
१२.	होम गार्ड्स, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह नहीं होंगे	५
१३.	निरसन	६

विधि विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रैल ५, १९६३

संख्या एफ. ४(२०) एल. जे. ।ए। ६०:—राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, १९५६ (एक्ट ४७, सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान होम गार्ड्स एक्ट, १९६३ (एक्ट ९, सन् १९६३) का अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३

(अधिनियम संख्या ९ सन् १९६३)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ मार्च, १९६३ को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में आपात् स्थिति में उपयोग के लिये तथा अन्य प्रयोजनों के लिये होम गार्ड्स की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ</u>:—(१) यह अधिनियम राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रभावशील होगा।

२. <u>होम गार्ड्स का गठन और कमाण्डेण्ट जनरल, डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल तथा कमाण्डेण्ट की नियुक्ति</u>:—(१) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा राज्य के उन क्षेत्रों के लिये जिन्हें वह उचित समझे होम गार्ड्स नामक एक स्वयं सेवक निकाय का गठन करेगी जिसके सदस्य, लोगों की तथा उनकी संपत्ति की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में ऐसे प्रकार्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें, इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार सौंपे जायें।

(२) राज्य सरकार, उप-धारा (१) के अधीन गठित प्रत्येक होम गार्ड्स का एक कमाण्डेण्ट नियुक्त करेगी।

(३) राज्य सरकार होम गार्ड्स का एक कमाण्डेण्ट जनरल भी नियुक्त करेगी। जिसमें राजस्थान राज्य भर के होम गार्ड्स का सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण निहित होगा।

(४) राज्य सरकार होम गार्ड्स का एक डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल भी नियुक्त कर सकेगी जो कमाण्डेण्ट जनरल के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए, कमाण्डेण्ट जनरल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि कमाण्डेण्ट जनरल निर्दिष्ट करे, करेगा ।

३. सदस्यों की नियुक्ति:—(१) कमाण्डेण्ट जनरल के अनुमोदन के अधीन कमाण्डेण्ट ऐसी संख्या में जितनी कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाय, ऐसे व्यक्तियों को, जो स्वस्थ और सेवा करने के लिये तत्पर हों, होम गार्ड्स का सदस्य नियुक्त कर सकेगा और ऐसे किसी भी सदस्य को होम गार्ड्स में किसी कमाण्ड के किसी भी पद पर नियुक्त कर सकेगा ।

(२) उप-धारा (१) में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कमाण्डेण्ट जनरल, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन ऐसे किसी भी सदस्य को ऐसे किसी भी पद पर, जो सीधा उसी के नियंत्रणाधीन हो, नियुक्त कर सकेगा ।

४. सदस्यों के प्रकार्य तथा कर्तव्य:—(१) कमाण्डेण्ट, किसी भी समय, होम गार्ड्स के किसी सदस्य को ट्रेनिंग के लिये अथवा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार होम गार्ड्स को सौंपे गये किन्हीं भी प्रकार्यों या कर्तव्यों का पालन करने के लिये बुला सकेगा ।

(२) कमाण्डेण्ट जनरल, किसी आपात-स्थिति में, होम गार्ड्स के किसी सदस्य को ट्रेनिंग के लिये अथवा राजस्थान राज्य के किसी भी भाग में उक्त किन्हीं भी प्रकार्यों या कर्तव्यों का पालन करने के लिये बुला सकेगा ।

५. शक्तियां, रक्षा तथा नियंत्रण:—(१) धारा ४ के अन्तर्गत बुलाये जाने पर होम गार्ड्स के किसी सदस्य को वे ही शक्तियां, विशेषाधिकार तथा रक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रभावशील किसी भी एक्ट के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त होते हैं ।

(२) होम गार्ड्स के किसी सदस्य के विरुद्ध, ऐसे सदस्य के रूप में उसके प्रकार्यों या कर्तव्यों के पालन में की गई या की जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी बात के संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी अभियोग प्रारंभ नहीं किया जायगा ।

६. पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण:—धारा ४ के अन्तर्गत पुलिस बल की सहायतार्थ बुलाये जाने पर होम गार्ड्स के सदस्य ऐसी रीति से तथा ऐसी सीमा तक, जो धारा १० के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित की जाय, पुलिस बल के अधिकारियों के नियंत्रणाधीन रहेंगे ।

७. सदस्य न रहने वाले व्यक्ति द्वारा सर्टिफिकेट, हथियारों आदि का सौंपा जाना:—(१) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी कारणवश होम गार्ड्स का सदस्य नहीं रहता, तत्काल कमाण्डेण्ट को या ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर जिसके लिये कमाण्डेण्ट निदेश दे, अपनी नियुक्ति या पद का सर्टिफिकेट और हथियार, साज-सज्जा, कपड़े तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दी गई हों, सौंप देगा ।

(२) कोई भी मजिस्ट्रेट [illegible] . . . से जो उस सदर प्रभिलिखित किये जायेंगे, कोई भी पुलिस [illegible] . . इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के पद से नीचे का न हो, इस प्रकार सौंपे न गये [illegible] सर्टिफिकेट, हथियारों, साज-सज्जा, कपड़ों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की, जहां कहीं भी . . मिलें, तलाशी तथा जब्ती के लिये वारन्ट जारी कर सकेगा । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारन्ट, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (दण्ड प्रक्रिया संहिता) १८६८, (केन्द्रीय एक्ट सं० ५, सन् १८९८), के प्रावधानों के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा, यदि वारन्ट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसा निदेश दे तो किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जायगा ।

(३) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू होने वाली नहीं समझी जायगी जो कमाण्डेण्ट जनरल के आदेशाधीन उस व्यक्ति की संपत्ति हो चुकी है जिसको कि वह दी गयी थी ।

८. कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिये सदस्यों को दण्डः—(१) कमाण्डेण्ट को अपने नियंत्रणाधीन होम गार्ड्स के किसी सदस्य को निलंबित, पदावनत या बर्खास्त करने या उस पर ऐसा जुर्माना जो कि पचास रुपये से अधिक नहीं हो, करने का प्राधिकार प्राप्त होगा, यदि ऐसा सदस्य धारा ४ के अन्तर्गत बुलाये जाने पर, बिना किसी उचित कारण के ऐसे आदेश का पालन करने अथवा होम गार्ड्स के एक सदस्य के रूप में अपने प्रकार्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने अथवा उसके प्रकार्यों तथा कर्तव्यों के पालनार्थ उसे दिये गये किसी भी विधि संगत आदेश या निदेश का पालन करने में उपेक्षा करता है या इन्कार करता है अथवा कोई भी अनुशासन भंग करने या दुराचरण का दोषी है । कमाण्डेण्ट को, होम गार्ड्स के किसी सदस्य को ऐसे आचरण के आधार पर जिसके लिए उक्त सदस्य, नैतिक पतन-युक्त अपराध अथवा इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध, करने के कारण सिद्ध दोष ठहराया गया हो, बर्खास्त करने की भी शक्ति प्राप्त होगी । कमाण्डेण्ट जनरल को भी, उसके सीधे नियंत्रण के अधीन किसी पद पर नियुक्त होम गार्ड्स के किसी भी सदस्य के संबंध में ऐसा ही प्राधिकार होगा ।

(२) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कमाण्डेण्ट को, होम गार्ड्स के किसी भी सदस्य को किसी भी समय, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जायें सेवामुक्त करने (di-charge) का प्राधिकार होगा यदि, उसकी राय में, ऐसे सदस्य को सेवायें और आगे के लिये अपेक्षित न हों । कमाण्डेण्ट जनरल को भी, उसके सीधे नियंत्रण के अधीन किसी पद पर नियुक्त होम गार्ड्स के किसी भी सदस्य के संबंध में ऐसा ही प्राधिकार होगा ।

(३) जब कमाण्डेण्ट जनरल या कमाण्डेण्ट, उप-धारा (१) के अधीन होम गार्ड्स के किसी सदस्य को निलंबित (suspend) करने, पदावनत करने, बर्खास्त करने या उस पर जुर्माना करने के लिये कोई आज्ञा पारित करे तो वह ऐसी आज्ञा को, उसके कारणों और की गई जांच की एक टिप्पणी सहित, लेखबद्ध करेगा या करवायेगा और कमाण्डेण्ट जनरल या कमाण्डेण्ट द्वारा ऐसी कोई भी आज्ञा तब तक पारित नहीं की जायगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को, उसके बचाव में सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो ।

(४) होम गार्ड्स का कोई भी सदस्य, जो कमाण्डेण्ट की आज्ञा से परिवेदित (aggrieved) हो, उस आज्ञा के विरुद्ध कमाण्डेण्ट जनरल को और ऐसा कोई

भी व्यक्ति, जो कमाण्डेन्ट जनरल की आज्ञा से परिमोचित हो, उस आज्ञा के विरुद्ध राज्य सरकार को, उस तारीख से जिसको की उस आज्ञा की नोटिस उसे दी गया था, तीस दिन के भीतर, अपील कर सकेगा और कमाण्डेन्ट जनरल या राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(५) कमाण्डेण्ट जनरल या राज्य सरकार, किसी भी समय क्रमशः कमाण्डेण्ट या कमाण्डेण्ट जनरल द्वारा उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन पारित किसी भी आज्ञा के रेकार्ड को, कमाण्डेण्ट या कमाण्डेण्ट जनरल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पारित उस आज्ञा की वैधता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा, सकेगी, उसकी जांच कर सकेगा/सकेगी तथा उसके संबंध में ऐसी आज्ञा पारित कर सकेगा, सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(६) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा, यदि उसके विरुद्ध इसमें पहले प्रावहित रूप से कोई अपील नहीं की गई है, और अपील या पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आज्ञा अंतिम होगी ।

(७) इस धारा के अधीन किया गया कोई भी जुर्माना, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८, (केन्द्रीय एक्ट संख्या ५, सन् १८९८) में किसी न्यायालय द्वारा किये गये जुर्माने की वसूली के लिये प्रावहित रीति से, वसूल किया जा सकेगा मानो वह जुर्माना किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो ।

(८) इस धारा के अधीन होम गार्ड्स के किसी सदस्य को दिया गया कोई दण्ड, उस शास्ति के अतिरिक्त होगा जिसका कि ऐसा सदस्य धारा ९ या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि के अन्तर्गत भागी है ।

९. शास्ति:—(१) यदि होम गार्ड्स का कोई भी सदस्य, धारा ४ के अधीन बुलाये जाने पर, बिना किसी उचित कारण के, ऐसे आदेश का पालन करने अथवा होम गार्ड्स के एक सदस्य के रूप में अपने प्रकार्यों का निर्वहन करने अथवा उसके कर्तव्यों के पालनार्थ उसे दिये गये किसी भी विधिसंगत आदेश या निदेश का पालन करने में उपेक्षा करता है या इन्कार करता है तो वह, दोषी ठहराये जाने पर, साधारण कारावास से— जो तीन महीने की अवधि तक का हो सकता है अथवा जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकता है— अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(२) यदि होम गार्ड्स का कोई भी सदस्य, अपनी नियुक्ति या पद का सर्टिफिकेट अथवा कोई भी अन्य वस्तु धारा ७ की उप-धारा (१) के प्रावधानों के अनुसार सौंपने में जान-बूझ कर उपेक्षा करता है या सौंपने से इंकार करता है तो दोषी ठहराये जाने पर वह कारावास से जो एक महीने तक की अवधि का हो सकता है अथवा जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से, दंडित होगा ।

(३) कमाण्डेण्ट की पूर्व स्वीकृति लिये बिना, उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(४) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकेगा।

१०. नियम :—(१) राज्य सरकार—

(क) कमाण्डेण्ट तथा कमाण्डेण्ट जनरल को धारा ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का होम गार्ड्स के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रयोग किये जाने का प्रावधान करते हुए;

(ख) पुलिस बल की सहायतार्थ काम करते समय, होम गार्ड्स के सदस्यों पर पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण का प्रयोग किये जाने का प्रावधान करते हुए;

(ग) होम गार्ड्स के सदस्यों के संगठन, नियुक्ति, सेवा की शर्तों, प्रकार्यों, अनुशासन, हथियारों, साज-सज्जा तथा वस्त्रों का और जिस रीति से उन्हें सेवा के लिये बुलाया जा सकेगा उस का विनियमन करते हुए;

(घ) होम गार्ड्स के सदस्यों द्वारा, इस अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत प्रयोज्य किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग किये जाने का विनियमन करते हुए;

(ङ) सामान्यतः इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये;

इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है।

(२) समस्त नियम जो इस अधिनियम के अधीन अन्तिमरूपेण बनाये जायें, बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल, जब कि सत्र चालू हो, के सदन के इसी अवधि जो चौदह दिन से कम न हो, तथा जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में पूर्ण हो, के लिये रखे जायेंगे, और यदि, उस सत्र की, जिसमें कि वे रखे जांय या तत्पश्चात्वर्ती सत्र की, समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान मण्डल का सदन उक्त नियमों में से किसी में कोई रूपान्तर करे अथवा यह निश्चित करे कि कोई वैसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो, उक्त नियम तत्पश्चात् उक्त रूपेण रूपान्तरित स्वरूप में ही प्रभावयुक्त अथवा प्रभाव-शून्य, यथास्थिति, होगा; तथापि, इस भांति कि तदन्तर्गत पूर्वतः की गई किसी बात की वैधता पर वैसा कोई रूपान्तरण अथवा अभिशून्यन, प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा।

११. होम गार्ड्स के सदस्य, लोक सेवक (Public servants) होंगे :—इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले होम गार्ड्स के सदस्यों को, इण्डियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

१२. होम गार्ड्स, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकायों के चुनाव लडने के लिए अर्ह नहीं होंगे :—(१) होम गार्ड्स का कोई सदस्य, राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने जाने या होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण ही कि वह होम गार्ड्स का सदस्य है, अनर्ह नहीं होगा।

(२) तत्समय प्रभावशील किसी भी अन्य विधि में कोई भी प्रतिकूल बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, होम गार्ड्स का कोई सदस्य किसी स्थानीय सत्ता का सदस्य चुने जाने या होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण ही कि वह होम गार्ड्स का सदस्य है, अनर्ह नहीं होगा।

१३. निरसन :—बाम्बे होम गार्ड्स एक्ट, १९४७ को, जहां तक वह आबू क्षेत्र पर लागू होता है, तथा राज्य के किसी भी अन्य भाग में प्रवर्तित समस्त अन्य तदनुरूप विधियों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) राजस्थान होम गार्डस अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश २ सन् १९६२) तथा राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश ३ सन् १९६२) एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(३) उक्त निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बनाये गये समस्त नियम, की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाये गये, की गई समझी जायगी।

लहर सिंह महता,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

६

(10)

[प्रथमबार राजस्थान राज-पत्र, भाग ४ (ग) दिनांक १३-१२-६२ में प्रकाशित हुआ]

गृह (क) विभाग

विज्ञप्तियां

जयपुर, दिसम्बर १, १९६२

संख्या एफ. १०।४(१)होम.(ए-१)।५९:—राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (राजस्थान अध्यादेश २ सन् १९६२) की धाराएं २, ३, ६ तथा ८ के साथ पढ़ते हुए उसकी धारा १० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम:—ये नियम राजस्थान होम गार्ड्स नियम, १९६२ कहलायेंगे।

२. परिभाषायें:—इन नियमों में, जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(१) "अध्यादेश" से तात्पर्य राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (राजस्थान अध्यादेश २ सन् १९६२) से है;

(२) "कमान्डेन्ट" से तात्पर्य धारा २ के अधीन नियुक्त होम गार्डों के किसी कमान्डेंट से है;

(३) "कमान्डेन्ट जनरल" से तात्पर्य धारा २ के अधीन नियुक्त कमान्डेन्ट जनरल से है;

(४) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(५) "होम गार्ड" से तात्पर्य धारा २ के अधीन गठित होम गार्ड से है;

(६) "होम गार्ड्स का सदस्य" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गए किसी सदस्य से है;

(७) "धारा" से तात्पर्य उक्त अध्यादेश की किसी धारा से है।

३. होम गार्ड का सदस्य नियुक्त किया जाना:—(१) किसी भी व्यक्ति को होम गार्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक:—

(क) उसकी आयु २० वर्ष से अधिक और ५० वर्ष से कम न हो;

(ख) उसने किसी भी भाषा में कम से कम चौथी कक्षा की परीक्षा पास न करली हो;

(ग) कमान्डेन्ट जनरल के निर्देशों के अनुसार उसकी डाक्टरी जांच नहीं की जा चुकी हो और वह कमान्डेन्ट की सम्मति में शारिरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट न हो:

किन्तु कमान्डेन्ट जनरल उपयुक्त मामलों में उपरोक्त खंड (क) तथा (ख) के निर्धारित आयु अथवा शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी शर्तों को शिथिल करते हुए कार्यवाही कर सकेगा:

किन्तु यह और है कि राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि होम गार्ड का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में शैक्षणिक योग्यता ऐसी निर्धारित की जायगी जैसा कि वह उचित समझे।

४. नियुक्ति के लिये आवेदन:—ऐसा व्यक्ति जो होम गार्ड का सदस्य नियुक्त होने का इच्छुक हो, प्रपत्र "क" में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

५. होम गार्ड-प्रवरण समिति:—(१) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये जिसमें धारा २ के अधीन होम गार्ड गठित किया गया हो, एक समिति नियुक्त करेगी जो होम गार्ड-प्रवरण समिति कहलायेगी।

(२) होम गार्ड-प्रवरण समिति में ऐसे सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाय।

(३) होम गार्ड-प्रवरण समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कमाण्डेन्ट को होम गार्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उम्मीदवारों का प्रवरण करने में सलाह दे।

६. [illegible]:—प्रत्येक व्यक्ति पूर्व इसके कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाय कमाण्डेन्ट या उनके द्वारा स्वयं प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रपत्र "ख" में एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

७. प्रमाण-पत्र:—प्रत्येक व्यक्ति को जो होम गार्ड का सदस्य नियुक्त किया जाय प्रपत्र "ग" में एक नियुक्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

८. पदावधि:—होम गार्ड के किसी सदस्य की पदावधि पांच वर्ष होगी:

किन्तु:—

(१) यदि कोई सदस्य होम गार्ड का सदस्य बने रहने के लिये मेडिकल आधार पर अस्वस्थ हो जाय तो उसकी नियुक्ति पदावधि पूर्ण होने के पूर्व समाप्त की जा सकेगी;

(२) ऐसा कोई व्यक्ति जो निवृत्त किया गया हो पुनः नियुक्त किये जाने के लिये पात्र होगा;

(३) होम गार्ड के किसी सदस्य की सेवायें कमाण्डेण्ट या कमाण्डेण्ट जनरल, यथास्थिति, द्वारा किसी भी समय, एक महीने का नोटिस देने के पश्चात् समाप्त की जा सकेंगी।

९. होम गार्ड के सदस्य के लिये आयु-सीमा:—होम गार्ड का सदस्य ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होम गार्ड का सदस्य रह सकेगा:

किन्तु कमाण्डेन्ट जनरल उपयुक्त मामलों में उक्त आयु-सीमा को शिथिल कर सकेगा।

१०. शर्तें जिनके अधीन रहते हुए रिहा करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा:—धारा ८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत होम गार्ड के किसी सदस्य को तब तक रिहा नहीं किया जायगा जब तक कि कमाण्डेण्ट या कमाण्डेण्ट जनरल, यथास्थिति, इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि उक्त सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया है जो होम गार्ड संगठन की सुव्यवस्था, कल्याण या अनुशासन के लिये अहितकर है।

११. त्याग-पत्र:—होम गार्ड का कोई सदस्य कमाण्डेन्ट को संबोधित एक लिखित आवेदन-पत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा:

किन्तु उक्त त्याग-पत्र तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि कमाण्डेण्ट-जनरल या कमाण्डेण्ट इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि तदर्थ उचित तथा पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, उसे मंजूर न करले ।

१२. संगठनः—कमाण्डेण्ट-जनरल तथा डिप्टी कमाण्डेण्ट-जनरल के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिये गठित होम गार्ड में एक कमाण्डेण्ट, एक सेकिण्ड-इन-कमाण्ड, एक एडजुटेण्ट, सीनियर डिवीजनल कमाण्डर, ऐसे स्टाफ-अधिकारी जो कमाण्डेण्ट आवश्यक समझे, डिवीजनल कमाण्डर, कंपनी कमाण्डर, वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डर, सार्जेण्ट मेजर, क्वार्टर मास्टर सार्जेण्ट, प्लाटून सार्जेण्ट, सेक्शन लीडर, असि० सेक्शन लीडर और सेक्शन होंगे । तीन सेक्शनों का एक प्लाटून, तीन प्लाटूनों की कंपनी और तीन कंपनियों का एक डिवीजन होगा ।

१३. कमाण्डेण्ट-जनरल और कमाण्डेण्ट्स की शक्तियांः—(१). कमाण्डेण्ट-जनरल राज्य में समस्त कमाण्डेण्ट्स के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा राज्य भर में होम गार्ड्स के कार्यों का समन्वय करेगा । संगठन के कुशल प्रबन्धन, अनुशासन, प्रशासन तथा प्रशिक्षण के लिये वह राज्य सरकार के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा ।

(२) कमाण्डेण्ट-जनरल के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कमाण्डेण्ट अपने कमाण्ड के अधीन होम गार्ड्स के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा । वह, अपने कमाण्ड के अधीन होम गार्ड्स के कुशल प्रबन्धन, अनुशासन, प्रशासन तथा प्रशिक्षण के लिये कमाण्डेण्ट-जनरल और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(३) कमाण्डेण्ट-जनरल और कमाण्डेण्ट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, होम गार्ड्स का कोई अधिकारी, जो इस संबंध में कमाण्डेण्ट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें कमाण्डेण्ट निर्दिष्ट करें, धारा ४ द्वारा कमाण्डेण्ट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

१४. अनुशासनः—(१) होम गार्ड्स का सदस्य, अपने से वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा ।

(२) प्रशासन और अनुशासन के प्रयोजनार्थ होम गार्ड्स के सदस्य होम गार्ड्स-अधिकारियों के नियंत्रणाधीन होंगे :

परन्तु यदि होम गार्ड्स का कोई भाग (Contingent) सामान्य पुलिस दल के साथ मिलकर कार्य कर रहा हो तो उक्त भाग (Contingent) का उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी उक्त पुलिस दल के उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर की पद-स्थिति से नीचे न हो, के समग्र नियंत्रण में और उसके निदेशों के अधीन रहेगा ।

१५. वर्दी, साजसज्जा इत्यादिः—होम गार्ड्स का कोई सदस्य, जब वह कर्तव्यारूढ़ होगा, उसको दी गई वर्दी पहनेगा । वह राइफल अथवा रिवाल्वर अथवा कोई अन्य शस्त्र, जो समय २ पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाय, अपने साथ रख सकेगा ।

१६. प्रशिक्षणः—होम गार्ड्स के सदस्य ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जो कमाण्डेण्ट-जनरल द्वारा समय २ पर जिलेवार में निर्धारित किया जाय तथा उक्त प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर प्राप्त करेंगे जो कमाण्डेण्ट द्वारा समय २ पर नियत किये जांय ।

१७. कृत्य और कर्तव्य:—होम गार्ड्स के सदस्य के कृत्य और कर्तव्य साधारणतया निम्नलिखित होंगे:—

(१) विधि और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता करना।
(२) सब प्रकार के संकटों में मदद करने के लिये नागरिक संकटकालीन संगठन का मुख्य आधार (Nucleous) होना।
(३) सहायक, अग्निशमन, परित्राण (Rescue), संचार तथा एम्बुलेंस सर्विसेज का मुख्य आधार (Nucleous) होना।
(४) जब सामान्य सर्विसेज निष्क्रिय हों तब परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा सफाई-व्यवस्था सर्विसेज, चलाना।
(५) सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना।
(६) ऐसे अन्य कार्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या कमाण्डेण्ट-जनरल द्वारा समय १ पर सौंपे जायं

१८. पारिश्रमिक:—होम गार्ड्स के पदाधिकारी और अन्य सदस्य ऐसे भत्ते तथा ऐसी दरों पर, पाने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार समय २ पर निर्धारित करे।

१९. मुआवजा:—यदि होम गार्ड्स के किसी सदस्य के शरीर या उसकी संपत्ति को जब कि वह प्रशिक्षण पर रहा हो या ड्यूटी पर हो कोई क्षति पहुंचती है तो उसे ऐसा मुआवजा दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, बशर्ते कि उक्त क्षति, उसकी खुद की उपेक्षा के कारण अथवा अधिनियम अथवा तदधीन निर्मित नियमों या उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किये गए आदेशों अथवा निदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जानबूझ कर किये गए किसी कार्य या चूक के कारण नहीं हुई हो।

प्रपत्र-क

(देखिये नियम ४)

सेवा में

कमान्डेन्ट,
होम गार्ड्स,
... .

१. मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और क्षेत्र . . के लिये होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हूं तथा भर्ती होने के पश्चात् पांच वर्ष तक राजस्थान राज्य की सीमाओं को स्थायी रूप से छोड़ने का कोई विचार नहीं रखता और यह कि मेरे ऊपर किसी अन्य दल (Force) में सेवा करने का कोई दायित्व नहीं है।

२. मैं इस बात को समझता हूं कि:—

(१) किसी भी संकट काल में किसी भी समय कितनी भी अवधि के लिये तथा राजस्थान राज्य के किसी भी भाग में मुझे अपने कर्तव्य (Duty) पर बुलाया जा सकेगा।
(२) मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा परेडों (Parades) में भाग लेना होगा।
(३) मुझे निम्नांकित प्रतिज्ञा करनी होगी, अर्थात्:—

"मैं ....निवासी............सत्यनिष्ठा तथा सद्भावना से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं, ...में होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में पक्षपात

12

तथा अनुराग, द्वेष या दुर्भावना अथवा साम्प्रदायिक या राजनैतिक झुकाव न रखते हुए राजस्थान सरकार की भली-भांति तथा सच्चाई के साथ सेवा करूंगा; तथा मैं शांति की रक्षा और संपत्ति एवं जन साधारण की सुरक्षा के हेतु मुझे सौंपे गये कार्यों एवं कर्तव्यों का अपनी संपूर्ण शक्ति से पालन करूंगा और एक सदस्य के रूप में मैं अपने समस्त कर्तव्यों का पालन अपनी समग्र क्षमता एवं ज्ञान के साथ निष्ठा पूर्वक व कानून के अनुसार करूंगा और सरकार या मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे सौंपे गए कर्तव्यों के पालन में साम्प्रदायिक या राजनैतिक झुकाव को किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने का अवसर नहीं दूंगा।"

(४) मुझे पांच वर्ष तक होम गार्ड्स में सेवा करनी पड़ेगी जब तक कि मुझे राजस्थान होम गार्ड्स नियम १९६२ के अनुसरण में त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दे दी जाय।

(५) मुझ से क्षेत्र...... के किसी भी भाग में सेवा ली जा सकेगी।

३. १. पूरा नाम..

२. पता (निवास स्थान)................................
(कार्यस्थान)..................................

३. टेलिफोन नं० (यदि कोई हो) (निवास स्थान)............
(कार्यस्थान)............

४. जन्म की तारीख......................................

५. जन्म स्थान............ नगर............ देश या जिला......

६. धन्धा या व्यवसाय.................. ....

७. शिक्षा (डिग्री जो प्राप्त की या परीक्षा जो पास की) विशिष्ट योग्यता जैसे विदेशी भाषाओं, शीघ्रलिपि या टाइप का ज्ञान होने का भी उल्लेख किया जाना चाहिये..................................

८. युद्धकालीन सेवाओं, फौजी अथवा नाविक प्रशिक्षण या प्राथमिक चिकित्सा या एम्बूलेन्स कोर संबंधी प्रशिक्षण का विवरण..............

९. पिता का नाम......................................

१०. पिता का धंधा या व्यवसाय.............................

११. यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी है तो उस डोमीनियन में उनका पता तथा वहां से भारत संघ में प्रव्रजन (Migration) करने की तारीख
....

१२. उन स्थानों का विवरण जहां आप गत पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय रहे हों..

से.................. को निवास स्थान का पूरा पता, अर्थात गांव,
थाना, और जिला या मकान नं०, गली।
मुहल्ला और सड़क..................

४. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके सम्मुख दिए गए हैं:—

(१) क्या आप के नाम कोई आर्म्स लाइसेन्स है ? यदि ऐसा है तो हथियार का विवरण दीजिए ।

(२) क्या आपने अग्नि शस्त्रों (Fire arms) का उपयोग करने का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(३) क्या कभी आप न्यायालय द्वारा किसी अपराध के अपराधी ठहराये गये हैं ? यदि ऐसा है तो सिद्ध हुए दोषों एवं दिये गए दंडों का विवरण दीजिये ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरण सही है ।

दिनांक..........

हस्ताक्षर..................

चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र जिस पर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों जो आपको कम से कम तीन वर्ष से जानते हैं, नीचे छोड़े गये स्थान में लिखा जाना चाहिये:—

१. प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर..................

पता..

टेलीफोन नं० (यदि कोई हो)..................

२. प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर..................

पता..

टेलीफोन नं० (यदि कोई हो)..................

टिप्पणियां:—(१) यदि आप राज्य कर्मचारी हैं अथवा स्थानीय सत्ता, फर्म या किसी अन्य कार्यालय में कर्मचारी हैं, तो, आपको यह प्रपत्र अपने वरिष्ठ अधिकारी की मार्फत उनके इस प्रमाण-पत्र के साथ कि प्रशिक्षण में आपके सम्मिलित होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वह संकटकाल में किसी भी समय, किसी भी अवधि के लिये और राजस्थान राज्य के किसी भी भाग में कर्तव्य-पालन हेतु आपको कार्यभार से मुक्त कर देंगे, भेजना चाहिये ।

(२) प्रपत्र को पूरी तरह भर लेने के पश्चात् आप इसे कमान्डेन्ट होम गार्ड्स, ... को डाक से भेजदें / या दे दें । समय पर आपके पास सूचना भेज दी जायेगी कि आपकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

सर्टिफिकेट पर नियोजक या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री........, जो कि यहां नियोजित है, के किसी भी प्रकार विषय की प्रशिक्षण ट्रेनिंग में उपस्थित होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं उन्हें

पैराग्राफ (१) में लिखे अनुसार संकटकाल में किसी भी समय और किसी भी अवधि के लिये ड्यूटी पर आने के लिये, मुक्त कर दूंगा ।

ह० ....

नियोजक या वरिष्ठ अधिकारी ।

दिनांक..........

पूरा पता ....

टेलीफोन नम्बर (यदि हो)............

होम गार्ड्स के कमाण्डेण्ट द्वारा टिप्पणी ।

कमाण्डेण्ट, नियोजक अथवा वरिष्ठ अधिकारी से सर्टिफिकेट जारी करने की प्रार्थना करने के साथ ही यह बतलाना उचित समझते हैं कि ऐसी संकटकालीन स्थितियां जैसी कि उपर्युक्त पैरा नं० (१) में निर्दिष्ट हैं बहुधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है । अतः स्वयंसेवी होम गार्ड्स को भयभीत नहीं होना चाहिये और उनके नियोजकों या वरिष्ठ अधिकारियों को केवल इसी कारण उक्त सर्टिफिकेट जारी करने में संकोच नहीं करना चाहिये ।

प्रपत्र-ए

(देखिये नियम ६)

प्रतिज्ञा

मैं.......................निवासी.............................. सत्यनिष्ठा तथा सद्भावना से यह घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं, ...में होम गार्ड्स के सदस्य के रूप में पक्षपात या अनुराग, द्वेष या दुर्भावना अथवा साम्प्रदायिक या राजनैतिक झुकाव न रखते हुए राजस्थान सरकार की भली-भांति तथा सच्चाई के साथ सेवा करूंगा; और शांति कायम किये जाने तथा बनाये रखने के लिये अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रयत्न करूंगा और व्यक्तियों तथा संपत्ति संबंधी समस्त अपराधों को रोकूंगा, और होम गार्ड्स का सदस्य रहने के दौरान, मैं अपने समस्त कर्तव्यों का पालन अपनी समग्र कुशलता एवं ज्ञान के साथ निष्ठापूर्वक व कानून के अनुसार करूंगा और सरकार या मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे सौंपे गए कर्तव्यों के पालन में साम्प्रदायिक या राजनैतिक झुकाव को किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने का अवसर नहीं दूंगा ।

तारीख..................

....

की उपस्थिति में प्रतिज्ञा की ।

हस्ताक्षर ।

होम गार्ड्स का सदस्य नियुक्त होने का सर्टिफिकेट जिसे अभिज्ञान-पत्र (Identification Card) में शामिल किया जाना चाहिये।

संख्या..................

राजस्थान राज्य

राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश १९६२ (राजस्थान अध्यादेश संख्या २ सन् १९६२) के अधीन श्री..................को क्षेत्र..................के लिये होम गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है।

हस्ताक्षर ....

पद नाम ....

राज्यपाल की आज्ञा से,
शिवशंकर,
शासन सचिव।

जयपुर, नवम्बर २९, १९६२

संख्या एफ. १०१४(१)होम(ए-ग्रु. १)।५९:—होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश सं० २ सन् १९६२) की धारा २ की उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, राजस्थान को संपूर्ण राज्य के लिये होम गार्ड्स का पदकारणात् कमान्डेन्ट-जनरल नियुक्त करती है।

जयपुर, नवम्बर २८, १९६२

संख्या एफ. १०१४(१)होम.(ए-ग्रु. १)५९:—होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश सं० २, सन् १९६२) की धारा २(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे वर्णित प्रत्येक जिले के लिये होम गार्ड्स के नाम से एक स्वयं सेवक निकाय का गठन करती है। इसके साथ ही उक्त अध्यादेश की धारा २(२) के अधीन राज्य सरकार संबद्ध जिलों के सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ऑफ पुलिस को उक्त जिलों के लिए पदकारणात् कमान्डेन्ट नियुक्त करती है:—

१. उदयपुर।
२. भीलवाड़ा।
३. जयपुर।
४. भरतपुर।
५. सीकर।
६. अलवर।
७. टोंक।
८. अजमेर।
९. कोटा।
१०. जोधपुर।
११. जैसलमेर।
१२. बाड़मेर।
१३. बीकानेर।
१४. गंगानगर।

शिवशंकर,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।